Seventeenth Loksabha

an>

Title: Re. Augmentation of healthcare facilities to fight COVID-19 pandemic and to set up a mechanism to check the exorbitant fee Charged by Private Hospitals.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदया, यह हम सभी देशवासियों के लिए गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में विश्वव्यापी कोरोना महामारी से मुकाबला कर देश एवं देशवासियों को बचाया गया । कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में देश के महानगरों एवं ग्रामीण अंचलों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं/चिकित्सालयों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है और साथ ही विशेषतः महानगरों में 300 वर्ग फीट के आवास में रहने वाले नागरिकों को निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु एक आई कार्ड जारी कर उनके 3-4 दिनों के उपचार की आने वाली कई-कई लाख रुपए की राशि को मात्र हजारों की राशि तक सीमित रखने और बाकी राशि को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने की आवश्यकता है । दूसरा, मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि देश के निजी चिकित्सालय, जहां मरीजों से उनके 3-4 दिनों के उपचार के कई-कई लाख रुपए वसूल किए जाते हैं, उनके इस तरह के अनुचित व्यवहार पर अंकुश हेतु केन्द्रीय स्तर पर निगरानी तंत्र स्थापित किए जाने के लिए सकारात्मक कार्यवाही करें ।